

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

30-न0 374/2025

1 सुशील पि0 देवीलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
2 विनोद बनाम वादीगण

1 सुमित्रा देवी पुत्री देवीलाल पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2 मन्जू पत्नी सुशील जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजयशर्मा व प्रतिवादी वकील जे0एन0शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- वादी स0 1 सुशील व प्रतिवादीया स. 2 मन्जू ब.हि.ब.:- चक 5 के. एच. आर खाता स. 71/71 प0न0 234/208 (38) कि0न0 3/1/0.2270, 3/2/0.0250, 8/0.2530 12/0.0900 दक्षिण पूर्व कोने पर, 13/0.2530, 19/1/0.2180, 19/2/0.0130, 22/0.0220 पूर्व दिशा कि0 न0 23, 24/0. 5060 हे. कुल 1.5180 हे.।

वादी स0 2 विनोद - चक 5 के. एच. आर खाता स. 71/71 प0न0 234/207 (35) कि0न0 23/0.2530 प.न. 234/208 (38) कि.न. 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.001 उत्तर पूर्व कोने पर किलान0 9/.253 12/.252 19/1/.022, 21/.253 22/.231 पश्चिम दिशा कुल 1.5180 हे.।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे व चक 5 केएचआर के खाता स0 71/71 से देवीलाल पुत्र जीवनराम का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड (सत्यनारायण) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी